महिपाल

बनाम

राजेश कुमार @ पोलिया एवं अन्य।
(2019 की आपराधिक अपील संख्या 1843)
05 दिसम्बर 2019
[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और हृषिकेश रॉय, जे.जे.]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 2019 का 1843।

राजस्थान उच्च न्यायालय के जयपुर खंडपीठ, एस.बी आपराधिक 2019 का विविध जमानत आवेदन संख्या 5345 के निर्णय एवं आदेश दिनांक 10.05.2019 से।

साथ में

2019 की आपराधिक अपील संख्या 1844, 1845, 1846, 1847।
करण भरिहोके, सिद्धांत शर्मा। अपीलकर्ता के वकील।

डॉ. मनीष सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता, शैलजा नंदा मिश्रा, अर्पित प्रकाश,संदीप कुमार झा, सरद कुमार सिंघानिया, पंकज सिंघल,श्रीमती रश्मी सिंघानिया, मिलिंद कुमार। उत्तरदाताओं के वकील।

न्यायालय का निर्णय **डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़** के द्वारा दिया गया।

1. अनुदत्त छुट्टी दी गई।

2. अपीलों का यह समूह राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के एक विद्वान एकल न्यायाधीश के 10 मई 2019 के फैसले से उत्पन्न हुआ है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 439 के तहत दायर जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए, उच्च न्यायालय ने प्रथम प्रतिवादी को कुछ शर्तों के अधीन जमानत पर मुक्त कर दिया। मूल शिकायतकर्ता इस न्यायालय के समक्ष अपील में है।

3. इसी तरह के आदेश से, विद्वान एकल न्यायाधीश ने अन्य चार आरोपियों - अनिल कुमार, अजय कुमार, विकास कुमार और विजय कुमार को जमानत दे दी। उन आदेशों के खिलाफ अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील को वर्तमान अपील के साथ टैग किया गया है। चूंकि इन सभी मामलों में तथ्य और इसमें शामिल प्रश्न समान हैं, इसलिए इन्हें एक साथ सुना गया है और इसी निर्णय द्वारा इनका निपटारा किया जा रहा है। सुविधा के लिए एसएलपी (सीआरएल) संख्या 6339/2019 के तथ्यों पर चर्चा की जा रही है।

4. अपीलकर्ता द्वारा 3 दिसंबर 2018 को एक प्रथम सूचना रिपोर्ट[1] दर्ज कराई गई थी जिसमें कहा गया था कि उसका अब मृत भतीजा - अखिलेश अपनी शादी के लिए एक महीने की छुट्टी पर शहर आया था। यह कहा गया कि 2 दिसंबर शाम को लगभग 7 बजे, मृतक और उसका दोस्त आशीष किसी काम के लिए वैवाहिक घर से निकले। शाम लगभग 7.30 बजे, मृतक और आशीष ने अपनी बाइक सड़क पर रोक दी, जिससे दोनो

आरोपी व्यक्तियों - विजय और अनिल के साथ झगड़ा हुआ, जिन्होंने मृतक को गालियां दीं। उस समय डंडों से लैस पांच-छह लड़कों ने मृतक के साथ मारपीट की, जिसे आसपास के ग्रामीणों ने बचाया. यह कहा गया कि मृतक अपनी मोटरसाइकिल पर घटनास्थल से चला गया और उसके बाद कुछ ही दूरी पर आरोपियों - अनिल, अजय, राजेश (प्रथम प्रतिवादी), विकास और विजय से उसका सामना हुआ। आरोप है कि आरोपियों ने जान से मारने की नियत से मृतक को छड़ से पीटा। आरोप है कि मृतक की पिटाई करने के बाद आरोपी घटना स्थल से भाग गये. मृतक को चिड़ावा के झुंझुनू आर एंड आर अस्पताल ले जाया गया। हालाँकि, चोटों की गंभीर प्रकृति के कारण, उन्हें जयपुर के फोर्टिस अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

5. पोस्टमार्टम रिपोर्ट 3 दिसंबर 2018 को लेखांकित किया गया। मृतक के शरीर पर सत्ताईस पूर्व-मृत्यु चोटें दर्ज की गईं। पहले प्रतिवादी को 3 दिसंबर 2018 को गिरफ्तार किया गया था । अपीलकर्ता और आशीष के सीआरपीसी की धारा 161 के तहत बयान दर्ज किए गए थे। 10 मार्च 2019 को पांचों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1908[2] की धारा 147 , 148 , 149 , 302 और 397 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिलानी द्वारा 27 मार्च 2019 को संज्ञान लिया गया था। क्योंकि मामला धारा 302 के तहत था तो सुनवाई के लिए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, झुंझुनू को द्वारासुपुरुद किया गया था।

6. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष पहले प्रतिवादी द्वारा दायर जमानत याचिका को 10 अप्रैल, 2019 को खारिज कर दिया गया। इसके बाद, पहले प्रतिवादी ने राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष जमानत याचिका दायर की, जिसे स्वीकार कर लिया गया। अपीलकर्ता ने पहले प्रतिवादी को जमानत पर रिहा करने के उच्च न्यायालय के आदेश पर आपत्ति जताते हुए इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील दायर की है। इस कोर्ट द्वारा 12 जुलाई 2019 को नोटिस जारी किया गया था.

7. उच्च न्यायालय के फैसले पर आपत्ति जताते हुए, अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने कहा:

(i) एक जघन्य हत्या से जुड़े मामले में, जांच करने पर प्रथम दृष्टया आरोपी की संलिप्तता सामने आई है। उच्च न्यायालय के पास जमानत देने की अपनी शक्ति का प्रयोग करने का कोई कारण नहीं था;

(ii) उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को जमानत देने को उचित ठहराने वाला कोई तर्कसंगत आदेश पारित नहीं किया है;

(iii) उच्च न्यायालय एकमात्र घायल चश्मदीद गवाह आशीष के बयान की सराहना करने में विफल रहा जो घटना स्थल पर मौजूद था कि आरोपी मृतक की मौत के लिए जिम्मेदार थे;

(iv) पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सत्ताईस पूर्व-मृत्यु चोटें पायी गयी है और राय दी गई है कि मौत का कारण बनने वाली चोटें मृत्यु के छह घंटे के भीतर लगी थीं; और

(v) मृतक का फोन एक आरोपी अनिल के पास से बरामद किया गया, जबकि घटना में शामिल बाइक पहले प्रतिवादी के पास से बरामद की गई।

8. दूसरे प्रतिवादी - राजस्थान राज्य ने अपीलकर्ता द्वारा आग्रह किए गए आधारों के समान आधार पर उच्च न्यायालय के आदेश पर विरोध करते हुए एक जवाबी हलफनामा दायर किया है। यह भी कहा गया

कि मृतक के दोस्त आशीष को मारने के इरादे का आरोप लगाते हुए आरोपी के दोस्तों के खिलाफ एक और एफआईआर[3] दर्ज की गई थी।

9. दूसरी ओर, पहले प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने तर्क दिया कि:

(i) घटना की तारीख पर, मृतक और पहले प्रतिवादी के बीच विवाद हुआ था, जिसमें मृतक हमलावर था। इसके बाद, मृतक अपनी बाइक से गिर गया और उसे चोटें लगीं जिससे अंततः उसकी मृत्यु हो गई;

(ii) एफआईआर में झूठे आरोप के आधार पर पहला प्रतिवादी पांच महीने से हिरासत में है;

(iii) एफआईआर और आरोप पत्र में आरोपों को पढ़ने पर भी आरोपी के खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनाया गया है, इसलीए ज़मानत को रद्द करने का कोई कारण नहीं है; और

(iv) आरोपी के दोस्तों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का वर्तमान मामले पर कोई असर नहीं है(से कोई लेना देना नहीं है)।

उपरोक्त तर्कों की पुष्टि करते हुए सभी पांच आरोपियों द्वारा इस न्यायालय के समक्ष एक सामान्य जवाबी हलफनामा दायर किया गया।

10. ये प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ हमारे विचार के लिए हैं।

11. अनिवार्य रूप से, इस न्यायालय को यह विश्लेषण करना आवश्यक है कि क्या जमानत देने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 439 द्वारा प्रदत्त शक्ति का वैध प्रयोग किया गया था या नही। धारा 439 के तहत जमानत देने की शक्ति व्यापक है। लेकिन यह अच्छी तरह से स्थापित है कि यद्यपि जमानत देने में अदालत की विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग शामिल है,इसका प्रयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए, न कि आदतन रूप में। **राम गोविंद उपाध्याय बनाम सुदर्शन सिंह**[4] में, न्यायमूर्ति उमेश बनर्जी ने इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ के लिए बोलते हुए, उन कारकों को निर्धारित किया, जिन्हें निम्नलिखित शर्तों में जमानत देने की शक्ति के प्रयोग का मार्गदर्शन करना चाहिए:

> "3. हालांकि जमानत देना एक विवेकाधीन आदेश है - लेकिन, हालांकि, इस तरह के विवेक का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से करने की आवश्यकता है, न कि आदतन रूप में । बिना किसी ठोस कारण के जमानत का आदेश कायम नहीं रखा जा सकता। हालाँकि, यह रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं है कि जमानत देना अदालत द्वारा निपटाए जा रहे मामले के प्रासंगिक तथ्यों पर निर्भर है और तथ्य पर, हालांकि, हमेशा मामले-दर-मामले भिन्न होते हैं... अपराध की प्रकृति इनमें से एक है जमानत देने के लिए बुनियादी विचार - अपराध जितना अधिक जघन्य होगा, जमानत खारिज होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी, हालांकि, यह मामले के तथ्यात्मक आव्यूह पर निर्भर करता है।
>
> 4. उपरोक्त के अलावा, कुछ अन्य जिन्हें प्रासंगिक विचारों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, उन्हें भी इस समय देखा जा सकता है, हालांकि, ये केवल उदाहरणात्मक हैं और संपूर्ण नहीं हैं, न ही कोई हो सकता है। विचार ये हैं:

(a)जमानत देते समय अदालत को न केवल आरोपों की प्रकृति को ध्यान में रखना होगा, बल्कि सजा की गंभीरता को भी ध्यान में रखना होगा, यदि आरोप में दोषसिद्धि होती है और सबूत की प्रकृति जो आरोपों के समर्थन में प्रस्तुत की गयी है।

(b)गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका या शिकायतकर्ता के लिए खतरा होने की आशंका को भी जमानत देने के मामले में अदालत को ध्यान में रखना होगा ।

(c)हालांकि यह उम्मीद नहीं की जाती है कि उचित संदेह से परे आरोपी के अपराध को स्थापित करने वाले पूरे सबूत हों, लेकिन आरोप के समर्थन में अदालत की हमेशा प्रथम दृष्टया संतुष्टि होनी चाहिए।

(d)अभियोजन में तुच्छता पर हमेशा विचार किया जाना चाहिए और यह केवल वास्तविकता का तत्व है जिसे जमानत देने के मामले में विचार करना होगा, और अभियोजन की वास्तविकता में कुछ संदेह होने की स्थिति, घटनाओं के सामान्य क्रम में, अभियुक्त जमानत के आदेश का हकदार है।''

12.कोई मामला जमानत देने के लिए उपयुक्त है या नहीं, इसका निर्धारण कई कारकों के संतुलन से होता है, जिनमें से अपराध की प्रकृति भी शामिल है, सज़ा की गंभीरता और अभियुक्त की संलिप्तता का प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। जमानत की मंजूरी या अस्वीकृति के लिए किसी आवेदन का आकलन करने के लिए अदालतों के लिए कोई सीधा जैकेट फॉर्मूला मौजूद नहीं है। यह आकलन करने के चरण में कि कोई मामला जमानत देने के लिए उपयुक्त है या नहीं, अदालत को आरोपी द्वारा किए गए अपराध को उचित संदेह से परे स्थापित करने के लिए रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों का विस्तृत विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है। यह मुकदमा
का विषय है। हालाँकि, न्यायालय को यह जाँचने की आवश्यकता है कि क्या यह मानने के लिए प्रथम दृष्टया या उचित आधार है कि अभियुक्त ने अपराध किया है और इसमें शामिल विचारों के संतुलन पर, अभियुक्त की निरंतर हिरासत में रहने से आपराधिक न्याय प्रणाली के उद्देश्य को पूरा करती है। जहां निचली अदालत द्वारा जमानत दी गई है, अपीलीय अदालत को हस्तक्षेप करने में धीमा होना चाहिए और जमानत को रद्द करने की शक्ति के प्रयोग के लिए निर्धारित सिद्धांतों से निर्देशित होना चाहिए।

13. जमानत देने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की शुद्धता का आकलन करने में इस न्यायालय का मार्गदर्शन करने वाले **सिद्धांत प्रशांत कुमार सरकार बनाम आशीष चटर्जी**[5] में इस न्यायालय द्वारा संक्षेप में निर्धारित किए गए थे। उस मामले में, आरोपी दंड संहिता की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए मुकदमे का सामना कर रहा था। आरोपियों द्वारा दायर कई जमानत याचिकाएं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा खारिज कर दी गईं। उच्च न्यायालय ने बदले में आरोपी द्वारा दायर जमानत याचिका को अनुमति दे दी। उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हुए, न्यायमूर्ति डीके जैन ने इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए कहा:

"……..9.यह अदालत सामान्य तौर पर उच्च न्यायालय द्वारा आरोपी को जमानत देने या खारिज करने के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करती है। हालाँकि, उच्च न्यायालय को निश्चित रूप से इस मुद्दे पर इस न्यायालय के कई निर्णयों में निर्धारित बुनियादी सिद्धांतों के अनुपालन में विवेकपूर्ण, सावधानी और सख्ती से अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए।यह अच्छी तरह से स्थापित है कि, अन्य परिस्थितियों के अलावा, जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए:

(i) क्या यह विश्वास करने का कोई प्रथम दृष्टया या उचित आधार है कि अभियुक्त ने अपराध किया है;

(ii) आरोप की प्रकृति और गंभीरता;

(iii) दोषसिद्धि की स्थिति में सजा की गंभीरता;

(iv) जमानत पर रिहा होने पर आरोपी के फरार होने या भाग जाने का खतरा;

(v) अभियुक्त का चरित्र, व्यवहार, साधन, स्थिति और अभियुक्त की स्थिति;

(vi) अपराध दोहराए जाने की संभावना;

(vii) गवाहों को प्रभावित किये जाने की उचित आशंका; और

(viii) निस्संदेह, जमानत दिए जाने से न्याय बाधित होने का खतरा।

.....

12. यह स्पष्ट है कि यदि उच्च न्यायालय इन प्रासंगिक विचारों पर ध्यान नहीं देता है और यंत्रवत रूप से जमानत दे देता है, तो उक्त आदेश दिमाग का उपयोग न करने के दोष से ग्रस्त होगा, जिससे यह अवैध हो जाएगा...॥"

14. प्रावधान के तहत एक आरोपी के लिए जमानत पर रिहा किया जाना, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है। यही कारण है कि यह न्यायालय आमतौर पर जमानत देने वाले उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करता है। हालाँकि, जहां जमानत देने के लिए उच्च न्यायालय के विवेक का प्रयोग उचित विवेक के बिना या इस न्यायालय के निर्देशों के उल्लंघन में किया गया है, वहाँ जमानत देने वाला ऐसा आदेश रद्द किया जा सकता है। न्यायालय को अन्य बातों के अलावा, यह विचार करने की आवश्यकता है कि अभियुक्त ने *प्रथम दृष्टया* अपराध किया है, अपराध की प्रकृति और गंभीरता तथा अभियुक्त द्वारा किसी भी तरीके से मुकदमे की कार्यवाही में बाधा डालने या कार्यवाही से बचने की संभावना। न्याय। जमानत पर रिहा किए जाने का प्रावधान न्याय प्रशासन में सार्वजनिक हित और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के बीच मामले का फैसला आने तक एक उचित संतुलन बनाता है। हालाँकि, जमानत का अनुदान कानून की सीमा के भीतर और इस न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन में सुरक्षित किया जाना है। यही कारण है कि अदालत को कई कारकों को संतुलित करना चाहिए जो मामले दर मामले के आधार पर जमानत देने की विवेकाधीन शक्ति के प्रयोग को निर्देशित करते हैं। इस निर्धारण में अंतर्निहित यह है कि क्या, रिकॉर्ड के विश्लेषण पर, ऐसा प्रतीत होता है कि यह मानने का प्रथम दृष्टया या उचित कारण है कि अभियुक्त ने अपराध किया था। इस स्तर पर यह प्रासंगिक नहीं है कि अदालत किसी निर्णायक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों की विस्तार से जांच करे।

इस न्यायालय के निर्णय जो प्रशांत में पारित की गयी थी का लगातार पालन किया गया है, इस न्यायालय द्वारा **आश मोहम्मद बनाम शिव राज सिंह**[6], **रणजीत सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य**[7], **नीरू यादव बनाम यूपी राज्य**[8], **विरुपक्षप्पा गौड़ा बनाम कर्नाटक राज्य**[9], और **उड़ीसा राज्य बनाम महिमानन्द मिश्र**[10] में लगातार पालन किया है।

15. जमानत देने वाले आदेश की शुद्धता का आकलन करने में अपीलीय अदालत की शक्ति का मार्गदर्शन करने वाले विचार जमानत रद्द करने के लिए एक आवेदन का मूल्यांकन से भिन्न हैं। जमानत देने वाले आदेश की सत्यता का परीक्षण इस आधार पर किया जाता है कि क्या जमानत देने में विवेक का अनुचित या मनमाना प्रयोग किया गया था। परीक्षण यह है कि जमानत देने का आदेश विकृत, अवैध या अनुचित है या नहीं। दूसरी ओर, जमानत रद्द करने के लिए आवेदन की जांच आम तौर पर उस व्यक्ति(जिसे जमानत दी गई है), द्वारा जमानत की शर्तों के उल्लंघन या पर्यवेक्षण परिस्थितियों के अस्तित्व के आधार पर की जाती है। **नीरू यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**[11] में आरोपी को उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दे दी गई थी। उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एक अपील में, इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने जमानत देने का मार्गदर्शन करने वाले सिद्धांतों पर मिसाल का सर्वेक्षण किया। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा (विद्वान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के रूप में) ने कहा:

> ".....यह कानून में अच्छी तरह से स्थापित है कि जमानत दिए जाने के बाद उसे रद्द करना क्योंकि आरोपी ने खुद के साथ दुर्व्यवहार किया है या कुछ पर्यवेक्षणीय परिस्थितियों के कारण ऐसा रद्द किया गया है, यह जमानत देने के आदेश की तुलना में पूरी तरह से अलग है, जो अनुचित, अवैध और विकृत है। . यदि किसी मामले में, जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए था और जमानत पर ध्यान नहीं दिया गया है या यह अप्रासंगिक विचारों पर आधारित है, तो निर्विवाद रूप से वरिष्ठ अदालत ऐसे आदेश को रद्द कर सकती है। ऐसा मामला अलग श्रेणी का है और अलग दायरे में है. दूसरी प्रकृति के मामले से निपटते समय, न्यायालय आरोपी द्वारा शर्तों के उल्लंघन या उसके बाद हुई निगरानी परिस्थितियों पर ध्यान नहीं देता है। इसके विपरीत, यह न्यायालय द्वारा पारित आदेश की औचित्यता और सुदृढ़ता पर ध्यान देता है। जहां जमानत के लिए आवेदन पर विचार करने वाली अदालत प्रासंगिक कारकों पर विचार करने में विफल रहती है, एक अपीलीय अदालत जमानत देने के आदेश को उचित रूप से रद्द कर सकती है"।

16.इस प्रकार एक अपीलीय अदालत को इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या जमानत देने का आदेश बिना सोचे-समझे लिया गया है या रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के प्रथम दृष्टया को ध्यान मे नहीं रख के लिया गया है।इस प्रकार इस न्यायालय के लिए यह आकलन करना आवश्यक है कि क्या, साक्ष्य संबंधी रिकॉर्ड के आधार पर, यह विश्वास करने के लिए प्रथम दृष्टया या उचित आधार मौजूद था कि अभियुक्त ने अपराध किया था, साथ ही अपराध की गंभीरता और सज़ा की गंभीरता को भी ध्यान में रखा जाए। वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय का आदेश, जहां तक प्रासंगिक है, इस प्रकार है:

> "2. याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि याचिकाकर्ता को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। वकील ने आगे कहा कि, मृतक अपनी मोटरसाइकिल चला रहा था, जो एक तीखे मोड़ पर फिसल गई, जिसके कारण उसे शरीर के विभिन्न हिस्सों पर चोटें आईं, जिसमें सिर पर लगी चोटें भी शामिल थीं, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। वकील ने आगे कहा कि चालान पहले ही अदालत में पेश किया जा चुका है और मुकदमे के निष्कर्ष में लंबा समय लग सकता है"
>
> 3. विद्वान लोक अभियोजक और शिकायतकर्ता के वकील ने जमानत आवेदन का विरोध किया है।
>
> 4. याचिकाकर्ता के वकील द्वारा दी गई दलीलों पर विचार करते हुए और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और मामले की योग्यता पर राय व्यक्त किए बिना, यह अदालत याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करना न्यायसंगत और उचित मानती है।"

17. प्रतिद्वंद्वी के प्रस्तुतियों का आकलन करने में, 3 दिसंबर 2018 की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के निष्कर्षों पर ध्यान देना आवश्यक है।

चोटों के आधार पर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने ये निष्कर्ष निकाला:

"उपर्युक्त सभी चोटें मृत्यु पूर्व प्रकृति की हैं। मृत्यु से लगभग 6 घंटे पहले की अवधि की हैं।

हम मेडिकल बोर्ड के सदस्यों की राय है कि मृत्यु का कारण इस पीएमआर में उल्लिखित सिर की चोटों के परिणामस्वरूप उत्पन्न कोमा है, जो सामान्य प्रकृति में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त है। हालाँकि अंतिम राय उपरोक्त भेजे गए नमूनों की एफएसएल रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद दी जाएगी।"

कुल सत्ताईस पूर्व-मृत्यु चोटें दर्ज की गईं, जिनमें से सात सिर पर लगी पाई गईं। इससे मेडिकल बोर्ड के सदस्य इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मौत का कारण सिर में चोट लगने के कारण कोमा में आना था। पहले प्रतिवादी के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि मृतक बाइक से गिर गया और घायल हो गया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। हालाँकि, यह अदालत का काम नहीं है कि वह कार्य-कारण की श्रृंखला पर किसी निर्णायक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों का विस्तार से आकलन करे। जमानत की याचिका का आकलन करने वाली अदालत को आरोपी द्वारा अपराध किए जाने की संभावना के बारे में प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण खोजने की आवश्यकता होती है और यह निष्कर्ष नहीं निकालना होता है कि कथित अपराध वास्तव में उचित संदेह से परे आरोपी द्वारा किया गया था।

18. घटना के समय कथित तौर पर मृतक के साथ मौजूद आशीष कुमार का बयान धारा 161 के तहत दर्ज किया गया था । बयान में कथित घटना का विवरण दिया गया है और सभी पांच आरोपियों के नाम बताए गए हैं, जिसमें मृतक को मारने का सामान्य इरादा बताया गया है। बताया गया कि इसके बाद आरोपी मृतक की बाइक लेकर भाग गया।

19.दिनांक 10 मार्च 2019 के आरोप-पत्र से निम्नलिखित उद्धरण प्रासंगिक है:

".....इसके बाद जिले के माननीय पुलिस अधीक्षक के आदेश संख्या शिकायत/2018/4899-4900 दिनांक 28.12.18 के अनुपालन में मामले की आगे की जांच क्षेत्राधिकारी श्रीमती ममता सारस्वत, आरपीएस सर्किल, झुंझुनूं शहर द्वारा शुरू की गई। जांच के कार्यवाही के दौरान क्षेत्राधिकारी श्रीमती ममता सारस्वत आरपीएस सर्किल झुनझुना सिटी ने वर्तमान मामले में गिरफ्तार सभी आरोपियों विजय कुमार, अजय कुमार उर्फ श्योदान, विकास कुमार, अनिल कुमार उर्फ भिररिया और राजेश कुमात उर्फ पौलिया से पूछताछ की। मृतक का **मोबाइल साक्ष्य अधिनियम की धारा 277 के तहत उसके प्रकटीकरण ज्ञापन के अनुसार अभियुक्त अनिल कुमार उर्फ भिररिया से बरामद किया गया था। मोबाइल का जब्ती ज्ञापन निष्कर्ष को केस फाइल में संलग्न किया गया। प्रकटीकरण ज्ञापन के अनुसार घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल अभियुक्त राजेश कुमार उर्फ पौलिया के पास से बरामद की गयी।**

...

इसके बाद अनिल कुमार के दोस्त अजय कुमार, राजेश और विकास तीनों घटनास्थल गराखेरा तिराहा पर आए और वहां आते ही उन्होंने मृतक अखिलेश और मोनू को लाठियों से पीटना शुरू कर दिया और उसके बाद अनिल कुमार और विजय कुमार ने भी मृतक अखिलेश और मोनू को पीटना शुरू कर दिया।

...

. . . .हालाँकि, यह उल्लेख किया गया है कि मृतक के सिर पर सात चोटें लगी हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि आरोपी व्यक्तियों ने घटना के समय मृतक के सिर पर घटना स्थल मार्क ए पर कई गंभीर चोटें पहुंचाई हैं। मृतक के सिर पर चोट लगी, जिसके कारण मृतक वहां से भागने के बाद कोमा में चला गया और टैंक से टकरा गया, जिससे लगी चोटों के कारण अखिलेश की मृत्यु हो गई।

(जोर दिया गया)

20. बिना किसी निष्कर्ष पर राय दिये या मामले की योग्यता पर, उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत को रद्द करने का मामला बनता है। उच्च न्यायालय ने ऊपर प्रस्तुत तथ्यो पर ध्यान न देकर स्पष्ट रूप से गलती की है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश भौतिक तथ्यों पर ध्यान देने में विफल है और अपराध की गंभीरता और पहले उल्लिखित परिस्थितियों पर ध्यान न देने को दर्शाता है, जिन पर विचार किया जाना चाहिए था।

21. उच्च न्यायालय का यह तय करना बिना प्रासंगिक सामग्री पर विचार किये कि अभियुक्तों को जमानत पर रिहा किया जाना था या नहीं गलत है। आरोपी को जमानत पर रिहा करने का उच्च न्यायालय का आदेश गलत है और रद्द किये जाने योग्य है।

22. एक और कारण है कि विद्वान एकल न्यायाधीश का निर्णय त्रुटिपूर्ण हो गया है। जमानत देने या अस्वीकार करने के आदेश के लिए उन कारणों को दर्ज करना न्यायिक अनुशासन का एक अच्छा अभ्यास है, जो अदालत को अपनी विवेकाधीन शक्ति के प्रयोग के लिए जरूरी है। वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय द्वारा मूल्यांकन केवल एक पैराग्राफ में निहित है जिसमें लिखा है:

"4.याचिकाकर्ता के वकील द्वारा दी गई दलीलों पर विचार करते हुए और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और मामले की योग्यता पर राय व्यक्त किए बिना, यह अदालत याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करना न्याय संगत और उचित मानती है"।

23. केवल "रिकॉर्ड का अध्ययन करने" और "मामले के तथ्यों और परिस्थितियों" को केवल लिखने से एक तर्कसंगत न्यायिक आदेश का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। यह खुले न्याय का एक मौलिक आधार है, जिसके लिए हमारी न्यायिक प्रणाली प्रतिबद्ध है, कि जमानत की अस्वीकृति या अनुदान में न्यायाधीश के दिमाग में जो कारक थे, उन्हें पारित आदेश में दर्ज किया जाना चाहिए । खुला न्याय इस धारणा पर आधारित है कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए, बल्कि स्पष्ट रूप से और निस्संदेह किया हुआ दिखना भी चाहिए। तर्कसंगत निर्णय देना न्यायाधीशों का कर्तव्य इस प्रतिबद्धता के केंद्र में है। जमानत देने के प्रश्न आपराधिक अभियोजन से गुजर रहे व्यक्तियों की स्वतंत्रता के साथ-साथ आपराधिक न्याय प्रणाली के हितों से संबंधित हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपराध करने वालों को न्याय में बाधा डालने का अवसर न मिले। न्यायाधीशों का कर्तव्य है कि वे उस आधार को बताएं जिसके आधार पर वे किसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं।

24. **कल्याण चंद्र सरकार बनाम राजेश रंजन** [12]में, इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ को अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने के उच्च न्यायालय के फैसले की शुद्धता का आकलन करने की आवश्यकता थी। न्यायालय की ओर से बोलते हुए न्यायमूर्ति संतोष हेगड़े ने गैर-जमानती अपराधों में जमानत देने के कानून पर चर्चा की और निर्धारित किया:

"11. जमानत देने या अस्वीकार करने के संबंध में कानून बहुत अच्छी तरह से स्थापित है। जमानत देने वाली अदालत को अपने विवेक का प्रयोग विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए, न कि आदतन रूप में। हालांकि जमानत देने के चरण में साक्ष्यों की विस्तृत जांच और मामले की योग्यता के विस्तृत दस्तावेजीकरण

की आवश्यकता नहीं है, **ऐसे आदेशों में प्रथम दृष्टया निष्कर्ष निकालने के कारणों को इंगित करने की आवश्यकता है कि जमानत क्यों दी जा रही है, खासकर जहां आरोपी के ऊपर गंभीर अपराध करने का आरोप है. ऐसे कारणों के बिना कोई भी आदेश दिमाग का प्रयोग न करने से ग्रासित माना जाएगा"।**

(जोर दिया गया)

25. जहां जमानत से इनकार करने या देने का आदेश उन कारणों को प्रस्तुत नहीं करता है जो निर्णय को सूचित करते हैं, वहां दिमाग के गैर-प्रयोग का अनुमान है जिसके लिए इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। जहां जमानत के लिए पूर्व आवेदन खारिज कर दिया गया है, वहां अपीलीय अदालत पर विशिष्ट कारण प्रस्तुत करने का अधिक बोझ है कि जमानत क्यों दी जानी चाहिए।

26. वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय द्वारा किया गया लापरवाहीपूर्ण विश्लेषण कायम नहीं रखा जा सकता है। ऊपर बताए गए कारणों से, अपील की अनुमति दी जाती है और पहले प्रतिवादी को जमानत पर रिहा करने के उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया जाता है।

27. ऊपर दर्ज निर्णय के संदर्भ में संबंधित अपीलों को भी अनुमति दी जाती है।

28. चूंकि आरोपियों को इन कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा कर दिया गया है, हम आदेश देते हैं कि जमानत बांड रद्द कर दिए जाए और पांच आरोपियों को तुरंत हिरासत में ले लिया जाए। इस निर्णय की एक प्रति अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, चिड़ावा जिला, झुंझुनू और संबंधित पुलिस स्टेशन को अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भेजी जाएगी।

29.हम स्पष्ट करते हैं कि वर्तमान निर्णय को मुकदमे के गुण-दोष पर किसी राय की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं समझा जाएगा।

सौदामिनी सिंह द्वारा

---

[1] एफआईआर नं. 347/2018

[2] दंड संहिता

[3] एफआईआर नं. 52/2019

[4](2002) 3 एससीसी 598

[5] (2010) 14 एससीसी 496

[6] (2012) 9 एससीसी 446

[7](2013) 16 एससीसी 797

[8] (2014) 16 एससीसी 508

[9] (2017) 5 एससीसी 406

[10] (2018) 10 एससीसी 516

[11] (2015) 15 एससीसी 422

[12] (2004) 7 एससीसी 528